

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-229) अलेसे-1/

दिनांक:- 13-12-2013

आदेश संख्या: 321 /2013-14

श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जिनकी जन्मतिथि 02.08.1956 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 23.08.1984 है, को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2013 के द्वारा चाहेनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2014 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/ प्रस्तावित नहीं है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-229) अलेसे-1/7246-7252 दिनांक:- 13-12-2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
2. खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर।
3. कोषाधिकारी जोधपुर।
4. उपकोषाधिकारी पचपदरा (बाड़मेर)
5. श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर
6. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।

(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)